राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(जी–3 राजमहल रेजीडेन्सीयल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/2026/4284-4593 दिनांकः 22.08.2026

आयुक्त/अधिशासी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– 309 नगरीय निकायों आम चुनाव 2026 आदर्श आचरण संहिता के दौरान किये जाने वाले कार्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 19.08.2026 को नगरीय निकायों के माह सितम्बर 2026 में आम चुनाव की घोषणा होने से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के दौरान निम्न कार्य नगरीय निकायों द्वारा निम्नानुसार किये जा सकते हैः–

1. अधिनियम की धारा 194 के तहत नया भवन निर्मित करने, भवन को पुनः निर्मित करने या भवन में तात्विक परिवर्तन करना आदि की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत भवन मानचित्र आवेदन की अधिनियम में निर्धारित समयावधि 2 माह में निस्तारित करना।

2. पूर्व में स्वीकृत आवासीय/व्यवसायिक योजनाओं में नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों में आवंटी/क्रेता द्वारा यदि सभी देय भुगतान कर दिये हो तो पट्टा जारी करना।

3. कृषि भूमि नियमन, निर्माण स्वीकृति, नामान्तरण आदि की सक्षम स्वीकृति के बाद पूर्ण राशि जमा हो गई हो तो पट्टा/स्वीकृति एवं जारी करना।

4. पूर्व में स्वीकृत विकास कार्य जिन पर कार्य शुरू हो गया है ऐसे कार्य जारी रखना।

5. प्रस्तावित प्रोजेक्टस/निर्माण कार्यों की डी पी आर तैयार करवाना व उनका परीक्षण करते हुए अनुमोदन/अप्रेजल की कार्यवाही करना।

6. ड्राइंग, डिजाइन व विस्तृत एस्टीमेट तैयार करना।
7. स्वीकृत कार्य की लागत के आधार पर टेण्डर डॉक्यूमेंट तैयार करना व एमओयू का प्रारूप तैयार करना।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार अति–आवश्यक सेवाएं यथा – सड़क, नाली ,स्ट्रीट लाईट मरम्मत कार्य करवाना।

9. भूमि विक्रय/नियमन के विधि सम्मत जारी किये गये पट्टो का पंजीयन नही होने पर ऐसे पट्टों का पुनर्वध/नवीनीकरण करके पंजीकरण कराने का कार्य।

10. पट्टों के नामान्तरण का कार्य।

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Designation : Director
Date: 2026.08.22 09:01:07 IST
Reason: Approved

E/letter2026

RajKaj Ref No.: 24195131
M e-Sign

11. आचार संहिता से प्रभावित नहीं होने वाले अन्य सामान्य दैनिक प्रकृति के कार्य ताकि आम जनता को असुविधा नहीं हो।

12. संबधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव मे आने से पूर्व ही जारी किये जा चुके है या जो विकास कार्य पूर्व से ही चल रहे है, वे सभी आचार संहिता मे प्रभावित नही होगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य नये टेडंर एंव नए कार्यादेश आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगें।

नगरपालिका संस्थाओं के निर्वाचित जन प्रतिनिधिगण द्वारा चुनाव के समय राजकीय/स्थानीय निकाय के वाहनों का उपयोग चुनाव प्रचार में करने की संभावना रहती है। अतः सरकारी/ स्थानीय निकाय के किसी भी वाहन का उपयोग अध्यक्ष / सभापति /मेयर/उपाध्यक्ष/उपसभापति व अन्य किसी भी जन प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाए। किसी भी जन प्रतिनिधि द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान राजकीय सुविधाओं का उपयोग नहीं किया जाए। भूमि आवंटन, ऋण वितरण आदि के निर्णय भी चुनाव समाप्ति तक नहीं लिए जावें और न ही इन नगरपालिकाओं की बैठक चुनाव समाप्ति तक आयोजित की जावे।

- **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबधित निर्वाचन क्षेत्रो में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए है, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेगें।**

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/2026/4594-4656 दिनांकः 22.08.2026

प्रतिलिपिः—प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान ।
3. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, शासन सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
5. वरिष्ठ सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
7. निजी सचिव, जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त राजस्थान।
8. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
9. प्रभारी, मोनिटरिंग सेल को विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

Signature valid
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Designation : Director
Date: 2026.08.22 09:01:07 IST
Reason: Approved

E/letter2026

RajKaj Ref No.: 24195131
M e-Sign